



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2246]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 26, 2013/आश्विन 4, 1935

No. 2246]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2013/ASVINA 4, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2013

का.आ. 2919(अ).—विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप धारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, नामतः:-

1. लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ - (1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगा।

2. अनुसूची VI का संशोधन - पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में -

स्तम्भ (5) में "ऑर्किड" से संबंधित क्रम संख्या 237 के लिए जहां कहीं भी "सिमबीडियम मौजैक" व "सिमबीडियम मौजैक वायरस" प्रविष्टियाँ हो, उन्हें हटाया जाएगा।

[फा.सं. 18-2/2012-पीपी II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (असाधारण) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात् दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (असाधारण), दिनांक 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (असाधारण), दिनांक 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (असाधारण), दिनांक 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (असाधारण), दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (असाधारण), दिनांक 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (असाधारण), दिनांक 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (असाधारण), दिनांक 31 अक्टूबर के का.आ. 1873 (असाधारण), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (असाधारण), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (असाधारण), दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 3 (असाधारण), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (असाधारण), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888 (असाधारण), दिनांक 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (असाधारण), दिनांक 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (असाधारण), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (असाधारण), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (असाधारण), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (असाधारण), दिनांक 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (असाधारण), दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (असाधारण), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (असाधारण), दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (असाधारण), दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (असाधारण), दिनांक 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (असाधारण), दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (असाधारण), दिनांक 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (असाधारण), दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (असाधारण), दिनांक 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (असाधारण), दिनांक 28 मई 2013 के का.आ. 1378 (असाधारण) और दिनांक 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (असाधारण) के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2013

S.O. 2919(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. Short title and Commencement.— (1) This Order may be called the Plant ^{Quarantine} (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2013.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Amendment of Schedule VI.— In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,—

Against Serial Number 237 relating to “Orchids” in column (5) the entries “Cymbidium mosaic” and “Cymbidium mosaic virus”, wherever they occur, shall be deleted.

[F.No.18-2/2012-PP.II]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011 and S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O.2775(E) dated 23rd November,2012, S.O. No. 799(E) dated 21st March, 2013, S.O. 1378 (E) dated 28th May, 2013 and S.O. No. 1531 (E) dated 14th June, 2013.